

सेलानी

खलनाई - 17/15

## माइल डिरिग्यूट बार एसोसिएशन-श्रावस्ती मुख्यालयःभिन्नगा

प्रकाशन नम्बर: 43-2006-2007

अध्यक्ष  
दिलोरा कुमार शुभल 'एडवोकेट'  
मो- 9415571050

महामंत्री  
अव्यक्ति कुमार 'एडवोकेट'  
मो- 9454307045

प्रिय दोस्तों	प्रकाशक	प्रिय दोस्तों
माइल डिरिग्यूट बार एसोसिएशन-श्रावस्ती मो- 9221000000 संस्था कार्यालय प्राधिकारी: अध्यक्ष 'एडवोकेट' मो- 9454307045	प्रकाशक: 419	प्रिय दोस्तों 17/06/2019
माइल डिरिग्यूट बार एसोसिएशन-श्रावस्ती मो- 9221000000 संस्था कार्यालय प्राधिकारी: अध्यक्ष 'एडवोकेट' मो- 9454307045	श्रीमान मुख्य न्यायाधीश महोदय उच्च न्यायालय, दिल्लीहाबाद	माइल डिरिग्यूट बार एसोसिएशन-श्रावस्ती मो- 9454307045
माइल डिरिग्यूट बार एसोसिएशन-श्रावस्ती मो- 9221000000 संस्था कार्यालय प्राधिकारी: अध्यक्ष 'एडवोकेट' मो- 9454307045	प्रिय पद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती द्वारा विधिविरुद्ध एवं अनियन्त्रित रूप से किये जा रहे न्यायिक कार्य एवं अपने व्यक्तिविशेष को लाभ प्रदान के उद्देश्य से जगाना प्राथमिकत्व में विधिविरुद्ध आदेश पारित करने और ऐसे के जाने हेतु एवं जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती के न्यायिक कार्य एवं उक्त लगाये जाने एवं जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा जनपद श्रावस्ती ने नियुक्ति से लेकर अब तक समस्त जगाना प्राथमिकत्व पर पारित आदेशों की तथा उनके कारणजारी एवं कार्यव्यवहार की सतर्कता आयोग द्वारा जाव कराये जाने के सम्बन्ध में।	माइल डिरिग्यूट बार एसोसिएशन-श्रावस्ती मो- 9454307045
माइल डिरिग्यूट बार एसोसिएशन-श्रावस्ती मो- 9221000000 संस्था कार्यालय प्राधिकारी: अध्यक्ष 'एडवोकेट' मो- 9454307045	प्रिय दोस्तों	माइल डिरिग्यूट बार एसोसिएशन-श्रावस्ती मो- 9454307045
माइल डिरिग्यूट बार एसोसिएशन-श्रावस्ती मो- 9454307045 संस्था कार्यालय प्राधिकारी: अध्यक्ष 'एडवोकेट' मो- 9454307045	निहेदन है कि वर्तमान समय में जनपद श्रावस्ती ने नियुक्त जनपद न्यायाधीश के पद पर श्री मुदुलेश कुमार सिंह जाव से आये हैं तब से इनका कार्यव्यवहार एवं आचरण अधिवक्ताओं के प्रति ठीक नहीं रहा है। जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती के विलम्ब कई बार अधिवक्ताओं द्वारा भास्त्रिक तथा लिखित रूप से दिनांक 22.11.2019 को संघ को अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में नियुक्त जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती की न्यायिक प्रक्रिया एवं कदाचार से जनपद श्रावस्ती के अधिवक्तागण काफी क्षुद्र है। जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा न्यायालय पर मुकदमें की सुनवाई का कोई समय निश्चित नहीं है तथा देर शाम तक गावकारियों एवं अधिवक्ताओं को परेशान करने की नीत से वैठाये रखा जाता है तथा लम्बी प्रतीक्षा के बाद अतंतोगत्वा तारीख बिना सुनवाई के देंदी जाती है। उपरोक्त कारणों से अधिवक्तागण क्षुद्र हैं इस अधिकारी में 69 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रत्यावेदन संघ कार्यालय में दिया गया है जिस पर कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 23.11.2019 को बुलाई गयी जिस पर कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्यों द्वारा साय व्यक्त की गयी कि प्रस्तुत अधिकारी 69 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित है-तथा प्रकरण गम्भीर प्रकृति का है इसलिए इस प्रत्यावेदन को सामान्य सभा की बैठक में विचार हेतु रखा जाय। कार्यकारिणी के सदस्यों की राय के अनुसार दिनांक 26.11.2019 को	माइल डिरिग्यूट बार एसोसिएशन-श्रावस्ती मो- 9454307045
माइल डिरिग्यूट बार एसोसिएशन-श्रावस्ती मो- 9221000000 संस्था कार्यालय प्राधिकारी: अध्यक्ष 'एडवोकेट' मो- 9454307045	निहेदन है कि वर्तमान समय में जनपद श्रावस्ती ने नियुक्त जनपद न्यायाधीश के पद पर श्री मुदुलेश कुमार सिंह जाव से आये हैं तब से इनका कार्यव्यवहार एवं आचरण अधिवक्ताओं के प्रति ठीक नहीं रहा है। जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती के विलम्ब कई बार अधिवक्ताओं द्वारा भास्त्रिक तथा लिखित रूप से दिनांक 22.11.2019 को संघ को अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में नियुक्त जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती की न्यायिक प्रक्रिया एवं कदाचार से जनपद श्रावस्ती के अधिवक्तागण काफी क्षुद्र है। जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा न्यायालय पर मुकदमें की सुनवाई का कोई समय निश्चित नहीं है तथा देर शाम तक गावकारियों एवं अधिवक्ताओं को परेशान करने की नीत से वैठाये रखा जाता है तथा लम्बी प्रतीक्षा के बाद अतंतोगत्वा तारीख बिना सुनवाई के देंदी जाती है। उपरोक्त कारणों से अधिवक्तागण क्षुद्र हैं इस अधिकारी में 69 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रत्यावेदन संघ कार्यालय में दिया गया है जिस पर कार्यकारिणी की अधिकांश सदस्यों द्वारा साय व्यक्त की गयी कि प्रस्तुत अधिकारी 69 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित है-तथा प्रकरण गम्भीर प्रकृति का है इसलिए इस प्रत्यावेदन को सामान्य सभा की बैठक में विचार हेतु रखा जाय। कार्यकारिणी के सदस्यों की राय के अनुसार दिनांक 26.11.2019 को	माइल डिरिग्यूट बार एसोसिएशन-श्रावस्ती मो- 9454307045



# माडल डिस्ट्रिक्ट वार एसोसिएशन-श्रावस्ती

## मुख्यालय: मिनगा

अध्यक्ष  
दिलोक्ष कुमार शुक्ल 'एडवोकेट'  
मो- 9415571850

पंजीयन संख्या: 43-2006-2007

महामंत्री  
अवधेश कुमार 'एडवोकेट'  
मो- 9454307045

वरिष्ठ उपायक	प.वा.	दिनांक
विप्रेन्द्र कुमार दास 'एडवोकेट'		
मो- 9721030003		
शशुल्क चन्द्री		
प्रदीप		
आमुलाल मिश्र 'एडवोकेट'		
मो- 8787010661		
प्रदीप		
अंतर्राज्य उपायक मिश्र 'एडवोकेट'		
मो- 9410749434		
पुरुषोदय		
वरिष्ठ उपायक जी वर्धी 'एडवोकेट'		
मो- 80512111254		
प्रदीप उपायक		
राजीव द्वार्गा 'एडवोकेट'		
मो- 9415192325		
कमला प्रसाद मिश्र 'एडवोकेट'		
मो- 8304419717		
प्रदीप उपायक		
अमितेन्द्र मिश्र 'एडवोकेट'		
मो- 96702333376		
कामोदीकरण दास 'एडवोकेट'		
मो- 9195007897		
वरिष्ठ उपायक		
रवि शंकर पाठक 'एडवोकेट'		
मो- 9005187096		
वरिष्ठ सदस्य		
अवस्था अवस्था 'एडवोकेट'		
मो- 9415491361		
पर्मदास पाठक 'एडवोकेट'		
मो- 9161413375		
नालंगन लाल मिश्र 'एडवोकेट'		
मो- 9450747719		
सदाशास्त्र 'एडवोकेट'		
मो- 9169127530		
विजय कुमार पाण्डित 'एडवोकेट'		
मो- 9961834001		
गोप अवस्था 'एडवोकेट'		
मो- 9415491366		
लक्ष्मी शुभम		
अजय कुमार मिश्र 'एडवोकेट'		
मो- 9451440087		
नवेश जी दास 'एडवोकेट'		
मो- 8175811366		
दिक्षान बुजार पाठक 'एडवोकेट'		
मो- 9721584344		
अवधेश कुमार शुभम 'एडवोकेट'		
मो- 9916142732		
जी अविना 'एडवोकेट'		
मो- 9666621139		
नवे अवस्था 'एडवोकेट'		
मो- 9450022753		
पर्वत सदस्य		
पुरुष उपायक 'एडवोकेट'		
मो- 9299999999		
विप्रेन्द्र कुमार मिश्र 'एडवोकेट'		
मो- 9450000000		

आमसभा की बैठक बुलाई गयी किन्तु कोरम पूरा न होने के कारण दिनांक 26.11.2019 की बैठक को स्थगित कर दिया गया और दिनांक 30.11.2019 को पुनः सामान्य सभा की बैठक बुलाई गयी जिस पर सामान्य सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संघ के अध्यक्ष महोदय प्रतिनिधि मंडल के साथ जनपद न्यायाधीश महोदय से मिलकर समस्या से अवगत करावे और उसके द्वारा भी यदि जनपद न्यायाधीश के कार्यव्यवहार एवं आचरण में कोई सुधार नहीं होता है तो पुनः सामान्य सभा की बैठक बुलाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।

सामान्य सभा के पारित उपरोक्त प्रस्ताव के अनुष्ठम में दिनांक 04.12.2019 को माडल डिस्ट्रिक्ट वार एसो 0 श्रावस्ती द्वारा अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जनपद न्यायाधीश महोदय से बुलाकात की गयी और सघ की तरफ से एक पत्र इस आशय का दिया गया कि जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती द्वारा की जा रही न्यायिक प्रक्रिया व कदाचार से अधिवक्तागण कुछ है। जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती द्वारा सिविल और फौजदारी वादों की सुनवायी का कोई समय निश्चित नहीं है। तथा शायकाल तक केवल फौजदारी वादों की ही सुनवायी की जाती है जिससे सिविल अपील / रिवीजन की सुनवायी एवं निस्तारण रामय से नहीं हो पा रहा है और सुनवायी न होने के कारण वादकारी व अधिवक्तागण निराश होकर अपने घर वापस चले जाते हैं।

जनपद श्रावस्ती एक पिछड़ा जिला है जहाँ आवागमन के कोई साधन नहीं हैं वादकारी एवं अधिवक्तागण को सुनसान जगल के रास्ते से होकर घर जाना पड़ता है जिससे जानमाल का खतरा बना रहता है।

जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण सुनवायी के दूसरे तीसरे दिन होता है और जिन मुकदमों में सुनवायी कर ली जाती है उसे काफी समय तक लम्बित रखा जाता है इस कारण अधिवक्तागण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

# माझल डिरिक्टर द्वारा एसोसिएशन-श्रावस्ती

## मुख्यालयः मिनगा

आवश्यक

दिग्नेश कुमार शुक्ल 'एड्योकेट'

मो- 9415571850

विनेश कुमार रत्नाली 'एड्योकेट'

मो- 0721020069

शुभुज मन्दी

प्रधान  
अमृतोप लिंग 'एड्योकेट'

मो- 8787010661

प्रधान

वीर बहादुर लिंग 'एड्योकेट'

मो- 9450789434

कार्यवाही

रत्नेश कुमार लिंगारी 'एड्योकेट'

मो- 8032311154

कार्यवाही

राजेश देखन 'एड्योकेट'

मो- 0415192325

कल्पना प्रसाद लिंगारी 'एड्योकेट'

मो- 6394419717

कार्यवाही

अमितेश लिंगारी 'एड्योकेट'

मो- 9450789436

फामोटेलाल लिंग 'एड्योकेट'

मो- 9196607897

कार्यवाही

तरु रामेश भाटक 'एड्योकेट'

मो- 9005187096

कार्यवाही

अस्त्राय आशार 'एड्योकेट'

मो- 9415491361

धर्मिता यात्रक 'एड्योकेट'

मो- 9161413325

जायदेव लाल 'एड्योकेट'

मो- 9450787649

सदाशिव लिंग 'एड्योकेट'

मो- 9369127530

विजय कुमार पाण्डिय 'एड्योकेट'

मो- 94611834001

जो अस्त्राय 'एड्योकेट'

मो- 9415491386

विनिधि कुमार लिंग 'एड्योकेट'

मो- 9432660087

जगेश जी लिंग 'एड्योकेट'

मो- 8175851386

विकास कुमार भाटक 'एड्योकेट'

मो- 97215808144

अशोक कुमार तुम्हा 'एड्योकेट'

मो- 9918947732

मो आदित्य 'एड्योकेट'

मो- 9447621119

मो आशार 'एड्योकेट'

मो- 9450927753

परेन यात्रक

मो- 7000993041

शोभानेन्द्र कुमार लिंगारी 'एड्योकेट'

मो- 9450400008

परांक

तिलक

कार्यवाही ही की गयी और साथ का अब तक सूचित नहीं किया गया है कि इस प्रकरण पर क्या कार्यवाही हो रही है। श्रीमान जी द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर जनपद न्यायाधीश का मनोबल और भी बढ़ गया है और वे भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हो गये हैं।

इसी क्रम में पुनर राहुल तिवारी एड्योकेट द्वारा माझिस्ट्रिक्ट बाने (मो) श्रावस्ती को दिनांक 08.06.2020 को इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया गया कि जमानत आधेदन पत्र सं 115/2020 मुण्डे बनाम सज्य अ०संप 31/2020 धारा 379/411 भा०द०राहिता थाना को० मिनगा मा० जनपद यायाधीश महोदय श्रावस्तीके न्यायालय पर प्रस्तुत किया था जिसमें युनवायी हेतु दिनांक 04.06.2020 नियत था जिस पर उस दिन साढ़े पाँच सुनवायी हेतु दिनांक 04.06.2020 नियत था जिस पर उस दिन साढ़े पाँच बजे तक कोई तिथि नियमित नहीं की गयी और न ही किसी माव्यम से अधिवक्ता को अगली तिथि के बारे में सूचना दी गयी तथा दिनांक 06.06.2020 को यिन अधिवक्ता को सुने ही विद्युपूर्ण भावना से प्रेरित होकर जमानत प्रा०पत्र पर लिखा गया कि उमयपक्षों को सुना गया। और जमानत प्रार्थनापत्र अपराध नर्मीर प्रकृति का है यह लिखते हुए निरस्त कर दिया गया जबकि जनपद न्यायाधीश गहोदय श्रावस्ती द्वारा व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सज्जेय सज्जेय अपराधों में अपने घड़ेते अधिवक्ताओं को जमानते ग्रदान की जाती है। ग्रामीं के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए उक्त कृत्य किया गया है जिसकी जांच होना व आवश्यक कार्यवाही होना न्यायहित में आवश्यक है जिससे न्यायालय का जनता में गरिमा एवं विश्वास बना रहे। उपरोक्त प्रार्थनापत्र के रामबन्ध में दिनांक 09.06.2020 को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गयी जिसमें कार्यकारिणी के मदस्यों ने एकराय होकर प्रार्थनापत्र पर कार्यवाही किया जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित किया कि जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती का कार्यव्यवहार ठीक नहीं है भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अपने खास अधिवक्ताओं को अनुचित तरीके से जमानत आदेश पारित करना और व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने और अन्य अधिवक्ताओं के जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त करने के सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश श्रावस्ती का उनके कार्यकाल के दौरान पारित समस्त आदेशों की सतर्कता आयोग द्वारा

# माडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन-श्रावस्ती



मुख्यालयःगिनगा

अध्यक्ष

दिलेश कुमार शुक्ल 'एडवोकेट'

मो०-९४१५५७१८५०

पंजीयन संख्या ४३-२००६-२००७

महामंत्री

अवधेश कुमार 'एडवोकेट'

मो०-९४५४३०७०४५

वरिष्ठ प्राप्तिक  
दिलेश कुमार राम 'एडवोकेट'

मो०-९२२१०२००६९

संवृति मंत्री

प्राप्तिक

आमुलीष निधि 'एडवोकेट'

मो०-८८७०१०६६१

प्रकाशन

ओम गोप्यन निधि 'एडवोकेट'

मो०-९४१५४९४३४

पुस्तकालय

रातिष्ठ बाराट लिमिटेड 'ए०-८०'

मो०-८५३२३११२५४

प्रभु उपाध्यक्ष

राजीत ईश्वर 'एडवोकेट'

मो०-९४१५१९३२३५

कामला प्रसाद निधि 'एडवोकेट'

मो०-९३२४६१९७१७

जनिष्ठ उपाध्यक्ष

अमितेश निधि 'एडवोकेट'

मो०-९८०३३३३७६

बीचलाल राम 'एडवोकेट'

मो०-९१९८६०२८९२

लोपाध्यक्ष

रवि दिव्य राम 'एडवोकेट'

मो०-९००५१६७०९६

परिष्ठ सदस्य

अरवाल आर-मय 'एडवोकेट'

मो०-९४१५१३६१

बागदास राम 'एडवोकेट'

मो०-९१६१४१३३७५

बाल्लभ लाल 'एडवोकेट'

मो०-९६३०७४७६६९

समाजसेवक 'एडवोकेट'

मो०-९३०९१२७३३०

विजय कामार पाठ्यकालीन 'एडवोकेट'

मो०-९०६१५३४००१

जो०-अरविंद राम 'एडवोकेट'

मो०-९३१५१९१३८६

जनिष्ठ वर्ष

अजय कुमार निधि 'एडवोकेट'

मो०-९४३२६६००५७

जयेश राम 'एडवोकेट'

मो०-९१७५३१३६६

दिलेश कुमार पाठ्यकाल 'एडवोकेट'

मो०-९७२१५८६३४४

अरोन कुमार कुमार 'एडवोकेट'

मो०-९९१८५७७७३२

जो०-अमित राम 'एडवोकेट'

मो०-९६४८७४३१९

जो०-अरविंद 'एडवोकेट'

मो०-९४४८७४३३७३

परेन रामस्य

पुष्पी राम राम 'एडवोकेट'

मो०-७००५५३३५१

विजय कुमार निधि 'एडवोकेट'

मो०-९४३०८८८८००

प्राप्तिक

दिवाकर

जाच करायी जाय एवं जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती के द्वारा न्यायिक कार्य में की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में उच्च भौतीय जाय कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमान् जी एवं अन्य सम्बन्धित उच्च अधिकारीगण को पत्र लिखा जाय जिससे अधिवक्ताओं एवं आमजनता का न्यायपालिका के प्रति विश्वास बना रहे।

श्रीमान् जी को यह भी अवगत करना है कि मा० जनपद

न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती द्वारा ३०२ / ३०४ वी / ३०६ / ३०७ / ३०८ / ४१९ / ४२० / ४६७ / ४६८ / ४७१ भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों में एवं ३०२ में दर्ज अज्ञात अभियुक्त को प्रकाश में आने के बावजूद दोहरे मापदण्ड अपनाकर अपने व्यक्ति विशेष अधिवक्ता को लाभ देने के उददेश्य से सगरत कार्य उन्ही अधिवक्ता के पास सीमित हो जाये इसी उददेश्य से दोहरे मापदण्डों के आधार पर जमानत पर आदेश अनुचित लाभ लेकर पारित किये जा रहे और उन्ही अधिवक्ता को चैम्बर में देठाकर उन्ही के आवेदन / जमानत प्राप्तों के निस्तारण में सहयोग लिया जाता है। ३०८ भा०८०८०संहिता के मुकदमा में अपने इच्छित अधिवक्ता को जमान आरोप में जमानत दे देते हैं और अन्य अधिवक्ताओं द्वारा उसी अपराध में जमानत प्राप्तों निरस्त कर देते हैं। इसी प्रकार ३०२ भा०८०८०संहिता में आला कल की बरामदगी बमुकदमा भीखू बनाम राज्य में जमानत दे दी गयी और राजकुमार मिश्र बनाम राज्य के मुकदमा में कोई भी साक्ष्य न होने के बावजूद भी जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार तमाम मुकदमों की लम्बी सूची है जो बाद जांच स्पष्ट हो जायेगा।

यह प्रकरण अत्यंत गम्भीर प्रकृति का है इसलिए उक्त प्रकरण

अरोन कुमार कुमार 'एडवोकेट' पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए निम्नलिखित कार्यवाही करने की मांग

माडल डिस्ट्रिक्ट बार एसो० श्रावस्ती द्वारा की जाती है:-

१-यह कि जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती के समस्त न्यायिक कार्य पर उत्काल रोक लगाया जाय जिससे अधिवक्ताओं को ग्रस्तावार से मुक्ति मिल सके।



# माइल डिरिक्टर सार एसोसिएशन-ब्राह्मणी

## मुख्यालय: भिलगा

प्रभाग  
दिग्नेश कुमार रामकृष्ण प्रसाद  
मो- 9475571865

ठिकाना: ४३ बड़ौदा-बड़ौदा

नवाचाही  
अवधेश कुमार प्रसाद  
मो- 9475570461

प्रभाग	प्रभाग	प्रभाग
मो- १०२५४४६४०००१	२-यह कि जनसंघ-नायकों नहादय भावती कि जनसंघ भावती के लाईभार चुहान इनसे स त्रिंश एक समस्त उम्मत अधीक्षणमें के आदान-प्रदान की जाने साक्षी आयोग के मुख्यमन्त्री समेत आदा।	
मो- १०२५४४६४०००२	३-जनसंघ नायकों नहादय भावती का स्थानान्तरण इसका निवी आवश्यक है किया जाए।	
मो- १०२५४४६४०००३		
मो- १०२५४४६४०००४		
मो- १०२५४४६४०००५		
मो- १०२५४४६४०००६		
मो- १०२५४४६४०००७		
मो- १०२५४४६४०००८		
मो- १०२५४४६४०००९		
मो- १०२५४४६४००१०		
मो- १०२५४४६४००११		
मो- १०२५४४६४००१२		
मो- १०२५४४६४००१३		
मो- १०२५४४६४००१४		
मो- १०२५४४६४००१५		
मो- १०२५४४६४००१६		
मो- १०२५४४६४००१७		
मो- १०२५४४६४००१८		
मो- १०२५४४६४००१९		
मो- १०२५४४६४००२०		
मो- १०२५४४६४००२१		
मो- १०२५४४६४००२२		
मो- १०२५४४६४००२३		
मो- १०२५४४६४००२४		
मो- १०२५४४६४००२५		
मो- १०२५४४६४००२६		
मो- १०२५४४६४००२७		
मो- १०२५४४६४००२८		
मो- १०२५४४६४००२९		
मो- १०२५४४६४००३०		
मो- १०२५४४६४००३१		
मो- १०२५४४६४००३२		
मो- १०२५४४६४००३३		
मो- १०२५४४६४००३४		
मो- १०२५४४६४००३५		
मो- १०२५४४६४००३६		
मो- १०२५४४६४००३७		
मो- १०२५४४६४००३८		
मो- १०२५४४६४००३९		
मो- १०२५४४६४००४०		

इस बीच जो ऐ घटनाहै कि प्रधानमन्त्री न अपनी लाइ द्वारा वर जनसंघ नायकों नहादय भावती के विषय उपरोक्त निवारी बीच के अनुचित तात्परत भावती उनसे को दूर की जानी चाहिए एवं उनकी उपरोक्त अपाप्त विवरण हो।

मेरी शुभ अपील।

भवदीप

महामंडी

भारत रिप्रेसर द्वारा प्रकाशित

महामंडी।

17-६-२०२०